यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रधानाचार्य, विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोश्नाबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह कार्यालय प्रधानाचार्य,विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोश्नाबाद, हरिद्वार, उत्तराखंडके माह 09/2017से 09/2020तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी,श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एसआर मीणा, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13.10.2020 से 19.10.2020 तक श्री पुष्कर,व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पवन कुमार, श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रमोद चौधरी, व. लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे दिनांक 06.9.2017 से 11.9.2017 तक संपादित की गयी जिसमे 04/2012 से 08/2017 तक के अभिलेखो की जांच की गयी थी।वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2017 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच संपादित की गयी।
2. (i)**इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**-इस संस्थानमे प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों की आवश्यकतानुसार भारत सरकार डीजीटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अनुदेशकों द्वारा विभिन्न व्यवसायों मे प्रशिक्षार्थीओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल मण्डल के हरिद्वार जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र है। इसमे रोश्नाबाद का क्षेत्र विशेषकर शामिल है।

(ii)(अ)लेखापरीक्षा अवधिका बजट आबंटन एवं व्यय (राज्य सैक्टर) की स्थिति निम्नवत हैः

(`लाख में)

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष) (कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग)	आवंटन	व्यय	समर्पण/बचत
2017-18	230030030300	155.02	149.21	5.81
2018-19	230030030300	151.23	145.82	5.41
2019-20	230030030300	15.16	157.60	-142.44
2020-21 (9/20)	230030030300	4.31	91.19	-86.88

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओंके अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटन	योग	व्यय	अंतिम अवशेष (बैंक में)
2017-18						
2018-19						
2019-20						
2020-21 (9/20)						

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य श्रोत राज्य सरकार/केंद्र सरकारहै। स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

3 (i)विभाग का संगठनात्मक (उत्तराखंड शासन) ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव
2. अपर सचिव
3. निदेशक
4. अपर निदेशक
5. प्रधानाचार्य
6. अनुदेशक
7. समूह ग एवं घ कर्मचारी
8. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः**- लेखापरीक्षा में**कार्यालय प्रधानाचार्य,विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोश्नाबाद,हरिद्वार, उत्तराखंड**के माह 07/2017 से 09/2020तक की अवधि को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन**कार्यालय प्रधानाचार्य,विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोश्नाबाद,हरिद्वार, उत्तराखंड**की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। इस लेखापरीक्षा मे माह06/2018 &09/2020(Treasury head-BM 5)को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्ययकी धनराशि के आधार पर किया गया।

(ii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा- 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- 2 'अ'

प्रस्तर:01 उपकरण मद पर अनियमित व्यय `18.92 लाख तथा कुल अनधिकृत व्यय `52.92 लाख।

कार्यालय विशिष्ट राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान रोशनबाद हरिद्वार की लेखापरीक्षा में संस्थान में संचालित भारत सरकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना (PPP) की तहत ढाई करोड़की राशि से संचालित व्यवसायों का उच्चीकरण तथा खोले जाने वाले नये ट्रेड की संवीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि भारत सरकार द्वारा राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से उच्चीकरण कर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली से निकलने वाले प्रशिक्षार्थियों को औधोगिक प्रतिष्ठानों की मांग के अनुरूप तैयार करना एवं रोजगारपरक में सुधार लाना है। इस योजना के अनुसार गठित Institute Management Committee (IMC) इंडस्ट्री पार्टनर की अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्री पार्टनर की मदद से विभिन्न उधोगों की स्थानीय आवश्यकता का निर्धारण कर उसी अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। भारत सरकार द्वारा जारीIMC के गाइडलाइंस के अनुसार औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान मे अपग्रेडेड ट्रेड जिसकी संबद्धता(Affiliation)National Council of Vocational Training(NCVT) से होगी योजना की राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है। गाइडलाइंस मे इस बात का भी उल्लेख पाया गया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति आई एम सी द्वारा सर्वे पश्चात Institutional Development Plan(आईडीपी) के निर्धारित प्रारूप के अनुरूप योजनाओं से संबन्धित क्रियाकलापों का दर्ज विवरण को राज्य स्तर पर गठित State Steering Committee(एसएससी) से अनुमोदन प्राप्त कर एस एस सी द्वारा अनुमोदित आई डी पी की एक प्रति Director General of Employment & Training(DGET) भारत सरकार को भेजे जाने का प्रावधान है।IMC द्वारा विचारोपरांत तैयारआईडीपी तथा उसमे शामिल वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के 05 वर्षीय ब्रेकअप ईयर प्लान तदुपरान्त एसएससी द्वारा अनुमोदित आई डी पी अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे जांच की गयी तथा पाया गया कि मंजूर किए गए पाँच वर्ष की प्लान में उपकरण मद पर कुल रु. 35.00 लाख, तथा सिविल वर्क पर रु.62.50 लाख व्यय किए जाने थे। परन्तु कुल ब्रेकअप अवधि के दौरान आई एम सी द्वारा उपकरण मद पर एसएससी से बिना स्वीकृति प्राप्त किए `35.00 लाख की जगह ` 53.92 लाख व्यय कर दी गयी, जबकि उच्चीकरण प्रयोजन हेतु खोले गए नये ट्रेड इलेक्ट्रिशियन तथा एच आर एग्जेक्यूटिव के सिविल वर्क मद मे स्वीकृत योजना के अनुरूप अनुपालन न करते हुये शून्य धनराशि व्यय की गयी तथा अपग्रेडसन का मानदंड पूरा नहीं किया गया। आगे पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक आईडीपी के निर्धारित प्रारूप के अनुसार 05 वर्ष का ब्रेकअप प्लान बनाकर एसएससी से स्वीकृति प्राप्त की जानी थी, परन्तु बिना स्वीकृति प्राप्त किए उक्त ब्रेकअप अवधि के मध्य कुल स्वीकृत राशि `111.00 लाख की जगह अर्थात सितम्बर 2020 तक धनराशि रु 163.92 लाख व्यय कर दी गयी जो स्वीकृत राशि `111.00 लाख से `52.92 लाख अधिक थी। नियमानुसार कम से कम वर्ष मे दो बार आई एम सी की बैठक किए जाने का प्रावधान पाया गया जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था तथा वर्ष 2020 मे लेखापरीक्षा तिथि तक बैठक संबंधी

साक्ष्य अनुपलब्ध पाया गया। वर्ष 2013 तथा वर्ष 2018 मे किए गए दो अपग्रेडेड ट्रेड इलेक्ट्रिशियन तथा एच आर एग्जेक्यूटिव के बाद रोजगारपरक ट्रेड संचालनसम्बन्धी इंडस्ट्री पार्टनर से प्राप्त किए जाने वाले सुझाव सम्बन्धी गतिविधियां शून्य पायी गयी।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि अपग्रेडसन के सिविल वर्क पर किए जाने वाले अप्रयुक्त राशि पर चर्चा का प्रस्ताव IMC मे रखा जाएगा। इंडस्ट्री पार्टनर वर्ष 2011 से IMC मे है, अपग्रेडेड ट्रेड इलेक्ट्रिशियन 2013 से संचालित है तथा एच आर एग्जेक्यूटिव 2018 से संचालित है। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्री पार्टनर द्वारा दिये गए रोजगारपरक संचालित किए जाने वाले ट्रेड के संबंध मे कोई चर्चा-परिचर्चा/सुझाव सम्बन्धी लिखित अभिलेख आई एम सी मीटिंग मे उपलब्ध नहीं हुए है। अधिक व्यय की अनुमति स्टेट स्टीयरिंग कमिटी से तकनीकी कारणों के कारण समय से प्राप्त नहीं की जा सकी, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त की प्रक्रिया गतिमान है।
इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा मे संतोषजनक नहीं पाया गया,वर्ष 2016-17 मे रु 18.92 लाख उपकरण मद मे आधिक्य व्यय किया गया जिसकी अनुमति ब्रेकअप इयर वर्ष 2018-19 के समाप्ति अवधि के भीतर प्राप्त की जानी थी परंतु एस एस सी से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई तथा नियमों का उलंघन कर व्यय किया गया। नए ब्रेकअप ईयर 2019-20 से 2023-24 की आई एम सी द्वारा बिना आई डी पी तैयार किये वर्ष 2020 के सितम्बर माह तक अनधिकृत रूप से ` 52.92 लाख व्यय किया गया। नियमानुसार अपग्रेड़ेसन कार्य के लिये सिविल वर्क पर व्यय नहीं किया जाना तथा आई एम सी का नियमित बैठक न होना योजना के क्रियान्वयन के प्रति उदासिनता दर्शाता है।
अतः प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग - 2'अ'</u>

प्रस्तर:02 धनराशि `26.70 लाख का व्यय अनुमन्य (inadmissible) नहीं पाया जाना।

To improve the employment outcomes of graduates from the vocational training system, by making design and delivery of training more demand responsive, in the Budget Speech 2007-08, Hon. Union Finance Minister announced upgradation of remaining 1396 Government ITIs into Centers of Excellence through Public Private Partnership. Under the scheme of Upgradation of 1396 Government ITIs through PPP, 1227 Government ITIs have been covered and an Industry Partner (IP) is associated with every ITI covered under the scheme. Institute Management Committee (IMC), registered as a society, has been constituted in each ITI and is headed by the Industry Partner. Interest free loan of Rs. 2.50 crore per ITI was released by the Central Government directly to the IMC Society of the ITI. Financial and academic autonomy have been given to the IMC society. The interest free loan is repayable by the IMC with a moratorium of 10 years and thereafter in equal annual Installments over a period of 20 years. The first installment repayable from the 11th anniversary of the day of drawl. The IMC maintains regular books of accounts, gets them audited and prepares annual reports and statements of accounts as required under the relevant Societies Registration Act. The Central Government may call for its books of accounts, vouchers, documents, etc. relating to any accounting year and also authorise an officer for their inspection. The loan amount may be used for providing additional civil work in the ITI, which shall not exceed 40% of the total loan amount; for use as seed money, which shall not exceed 50% of the total loan amount; for procurement of machinery and equipment and for other activities directly related to upgradation of traininginfrastructure in the ITI.The IMC shall carry out works and procure goods and services according to the Financial and Procurement Procedure of the Guidelines.As per the guidelines, a target for revenue generation has been fixed as `5.00 lakh,`10.00 lakh and`15.00 lakh for the year 2014-15, 2015-16 and 2016-17 respectively.

लेखापरीक्षा मे कार्यालय प्रधानाचार्य,विशिष्ट राजकीय औद्योगिक संस्थान,रोश्नाबाद, हरिद्वार की आईएमसी से संबंधित लेखाभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि इकाई को उच्चीकरण एवं सुद्धढ़ीकरण किए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार से जुलाई 2011 मे `250.00 लाख प्राप्त हुए। लेखापरीक्षा द्वारा जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा आईएमसी के अंतर्गत प्राप्त बजट से लेखापरीक्षा तिथि तक निम्न मद मे व्यय किया गया:

Type of Expenditure (as per QPR)	**Total since beginning of the scheme (in`)**
Civil Works	Nil
Tools, Machinery & Equipment	10171477/-
Furniture & furnishing	1928543/-
Books and Learning Resources	382725/-
Additional man power	2710395/-
Consumables, maintenance and training material	478383/-
Miscellaneous expenditure	720564/-
Total Expenditure	**16392087**

उक्त से संबन्धित अभिलेखों के नमूना जांच मे निम्न कमियाँ/तथ्य प्रकाश मे आया:

1) जांच मे पाया गया कि इकाई के द्वारा रोकड़ बही नहीं बनाया गया था। रोकड़ बही कार्यालय मे किसी भी प्रकार की व्यय का प्राइमरी अभिलेख होता है। वर्ष 2011-12 से 10/2020

(लेखापरीक्षा तिथि) तक की अवधि की रोकड़ बही नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार लेखापरीक्षा तिथि तक इकाई मे व्यय किए गए धनराशि की चेक निर्गत रजिस्टर भी नहीं बनाया गया था।

2) आईएमसी के दिशानिर्देशानुसार इकाई को आईएमसी के अंतर्गत उच्चिकृत ट्रेड के माध्यम से राजस्व का अर्जन करना, प्राप्ति करना एवं उसका सदुपयोग करना भी है। लेखापरीक्षा तिथि तक इकाई मे राजस्व प्राप्ति का अर्जन शून्य पाया गया। उक्त दिशानिर्देश मे दिये गए लक्ष्य के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 & 2016-17 मे कम से कम `30.00 लाख के राजस्व का अर्जन किया जाना था जो कि अर्जन नहीं किए जाने के कारण राजस्व हानि की श्रेणी मे आता है। वर्तमान मे भी इकाई द्वारा किसी भी प्रकार का राजस्व अर्जन नहीं किया जा रहा है।

3) आईएमसी के दिशा निर्देशों के अनुसार धनराशि `2.50 करोड़ मे से 40% प्रतिशत आईटीआई को उच्चिकृत किए जाने हेतु सिविल निर्माण कार्य पर किया जाना था जो कि नहीं किया गया है। सिविल निर्माण पर व्यय धनराशि शून्य है।

4) दिशानिर्देश के अनुसार आईटीआई मे पूर्व से चालू ट्रेड (existing courses) के लिए faculty staff के वेतन, प्रशासनिक/कार्यालय व्यय, विद्युत-जल देयक बिल आदि अनुमान्य नहीं है। लेखापरीक्षा जांच मे इकाई द्वारा अतिरिक्त मानव संसाधन (Additional Man Power) मद मे धनराशि `27.10 लाख व्यय पाया गया।

5) लेखापरीक्षा मे बिल/वाउचर की जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा आईएमसी से विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे व्यय किए गए है जो कि कार्यालय व्यय/अन्य व्यय या अन्य प्रकार के पूर्व से संचालित ट्रेड के संचालन हेतु किया गया है। इसम वर्ष 2011 मे गेस्ट हाउस के लिए धनराशि `74,531/-का फ़र्निचर, कर्टन, क्रॉकरी आदि पर धनराशि ` 39721/- का व्यय, वर्ष 2012 मे आरओ वॉटर, वॉटर कूलर, लैपटाप क्रय हेतु धनराशि `1,07,480/-का व्यय, वर्ष 2014 मे चार्जिंग लाइट, लैपटाप, फ्लावर क्रय हेतु धनराशि `84,559/-का व्यय किया गया जो कि आईएमसी के दिशानिर्देश के अनुसार अनुमन्य नहीं है। यह व्यय आईटीआई के उच्चीकरण हेतु व्यय प्रतीत नहीं होता है तथा दिशानिर्देश के विपरीत है। कार्यालय के दिन प्रतिदिन व्यय की प्रतिपूर्ति आईएमसी के बजट से किया जा रहा है जो कि आईटीआई के उन्नयन के लिए प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार के व्यय राज्य सेक्टर मे प्राप्त बजट से किया जाना चाहिए था। वर्षवार विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे व्यय के अंतर्गत किया गया व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	धनराशि (`मे)
2011	3,44,781/-
2012	1,94,685/-
2013	61,296/-

2014	1,42,131/-
2015	57,553/-
2016	60,648/-
2017	1,08,544/-
2018	21,244/-
2019	60,947/-
2020	18,828/-
योग	**10,70,657/-**

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त विदुंओं को इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि:

बिन्दु संख्या 01-आईएमसी के चेयरमैन द्वारा बताया गया कि CA के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया जाता है जो कि मान्य है। रोकड़ बही की आवश्यकता नहीं है। भविष्य मे बनाया जाएगा।

बिदु संख्या 02- चेक बुक के द्वारा भुगतान किया जाता है। चेक इशू रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

बिदु संख्या 03- सिविल निर्माण हेतु आईएमसी के चेयरमैन द्वारा कोई रुचि नहीं ली गई जिस कारण सिविल निर्माण का कार्य नहीं किया गया।

बिदु संख्या 04- ट्रेड के अनुदेशक के मानदेय मे भुगतान किया जाता है। दो कार्मिक 1-लेखा लिपिक एवं 1-चपरासी आईएमसी के चेयरमैन द्वारा रखे गए थे जो उन्ही के कार्यालय मे कार्य कर रहे थे। माह नवम्बर 2019 से कार्यरत नहीं है। उक्त व्यय धनराशि ` 27.00 लाख मे से लिपिक एवं चपरासी के वेतन आदि पर आईएमसी के फ़ंड से लगभग `16.00 लाख का भुगतान किया गया था।

बिदु संख्या 05- इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कार्यालय व्यय किए जाते है। आवश्यकतानुसार इकाई व कार्यालय के संचालन के लिए व्यय किया जाता है। लेखापरीक्षा को उक्त बिन्दुओं पर इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई के द्वारा आईएमसी के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया। अतः उक्त प्रकरण को उच्चाधिकारी एवं शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो ब

प्रस्तर:1 कौशन निधि खाते से279 छात्रो एवं छात्राओ की धरोहर धनराशि `18950+950=19900.00को शासनादेश का उलंघन कर वापस न लौटाया जानाएवं17 छात्रो-छात्राओ की छात्रवर्ती धनराशि का on line सत्यापनज़िला समाजकल्याण विभाग द्वारा नहीं किया जाना ।

कॉलेज द्वारा छात्रो एवं छात्राओ से कॉलेज मे प्रवेश के समय धरोहर के तौर पर कुछ धनराशि ली जाती हैं जिसको शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10.07.1986 के अंतर्गत कॉलेज मे छात्रनिधियों के रख रखाव एवं उपयोग संबंधित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है एवं इस प्रयोजन हेतु कॉलेज मे छात्रनिधिया संचालित किए जाने का प्रावधान किया गया था जिस पर प्राचार्य का पूर्ण नियंत्रण निर्धारित था। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 06 मे स्पस्ट हैं कि यदि कोई छात्र कॉलेज छोड़ने के तीन वर्ष पश्चात तक अपनी कौशन मनी वापस लेने के लिए आवदेन पत्र' नहीं देता तो यह राशि लेप्स हो जाएगी । संप्रेक्षा द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय ओधोगिक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के छात्र निधि खाते की जांच मे पाया गया कि कॉलेज के कौशन निधि खाते मे 279 छात्रो एवं छात्राओ की धरोहर धनराशि `19900.00वर्ष 2012-13 से 2020-21(सम्प्रेक्षा तिथि-10/20 तक) तक लम्बित पड़ी थी, उपरोक्त धनराशि मे से संप्रेक्षा तिथि10/20 तक `शून्य की धनराशि को छात्रो एवं छात्राओ के उनके कॉलेज छोड़ने पर लौटाया गया था। जबकि नियमानुसार उक्त धनराशि `19900.00को छात्रो एवं छात्राओ को उनके कॉलेज छोड़ने पर लौटाया जाना चाहिये था। आगे इस संबंध मे जांच मे पाया गया कि कॉलेज ने धनराशि वापस करने के संबंध मे शासन/निदेशालय स्तर से भी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं किए गए थे । उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर कॉलेज ने तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि की तथा सम्प्रेक्षा को अवगत कराया कि छात्रो एवं छात्राओ के द्वारा धरोहर धनराशि `19900.00को कॉलेज छोड़ने पर तीन वर्ष के अंदर कौशन मनी वापस लेनी चाहिये थी परंतु किसी भी छात्र एवं छात्राओ द्वारा धनराशि वापस लेने के लिए कॉलेज मे आवदेन नहीं किया गया था । विभाग का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि इकाई द्वारा न तो धनराशि वापस करने के संबंध मे शासन/निदेशालय स्तर से भी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं किए गए थे एवंउक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 06 मे स्पस्ट हैं कि यदि कोई छात्र कॉलेज छोड़ने के तीन वर्ष पश्चात तक अपनी कौशन मनी वापस लेने के लिए आवदेन पत्र' नहीं देता तो यह राशि लेप्स हो जाएगी उक्त नियम के संज्ञान के बाबजुद इकाई द्वारा छात्रो को कोई नोटिस या ज्ञापन भी उपलब्ध नहीं कराया गया था जोप्रधानाचार्य स्तर पर गंभीर चूक थी। सम्प्रेक्षा को इकाई द्वारा वर्ष-2018-19 मे छात्रवर्ती भुगतान हेतु पात्र चयनित 17 छात्रो एवं छात्राओ की छात्रवर्ती धनराशि के भुगतान से संबन्धित प्रस्तुत सूची की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि उक्त 17 छात्रो एवं छात्राओकी छात्रवर्ती धनराशि का on-line सत्यापन सम्प्रेक्षा तिथि -10/20 तक समाज

कल्याण विभाग द्वारा नहीं किया गया था। जिसके कारण 17लाभार्थियो को छात्रवर्ती धनराशि का लाभ नहीं मिल पाया । जिससे सम्प्रेक्षा तिथि-10/20 तक पात्र 17 छात्रो एवं छात्राओ को इकाई द्वारा छात्रवर्ती धनराशि के लाभ से वंचित किया गया । इस सम्बंध मे विभाग द्वारा 17 छात्रो एवं छात्राओ को छात्रवर्ती धनराशि के भुगतान न होने की समस्त जिम्मेवारी समाज कल्याण विभाग पर डाली है। विभाग का उत्तर सम्प्रेक्षा मे मान्य नहीं है क्योकि उक्त 17 छात्रो एवं छात्राओ द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय ओधोगिक प्रशिक्षण संस्थानरोशनाबाद ज़िला - हरिद्वार के कॉलेज मे शिक्षा प्राप्त की थी तथा उक्त छात्रो मे से कई छात्र अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति से संबन्धित गरीब छात्र शामिल थे जिनको सरकार द्वारा धन की सहायता हेतु छात्रवर्ती की धनराशि प्रदान की जाती है उक्त प्रकरण मे मे विभाग द्वारा 17 छात्रो एवं छात्राओ को छात्रवर्ती धनराशि के भुगतान के सम्बंध मे सम्प्रेक्षा तिथि 10/20 तक लगभग 03 वर्षो मे कोई प्रयास नहीं किया था। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
SS/76/2017-18	--	1,2	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग-दो-अ	भाग-दो-ब	STAN			
SS/76/2017-18	--	1,2	1,2	अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत

इकाई के द्वारा उत्तर दिया गया कि विगत लेखापरीक्षा के जारी प्रस्तरों के निस्तारण हेतु अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप मे तैयार करके उच्चाधिकारी के माध्यम से महालेखाकर,लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------शून्य-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रधानाचार्य,विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोश्नाबाद,हरिद्वार, उत्तराखंड**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः -शून्य
3. सतत् अनियमितताएः - शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया था;

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
01	श्रीप्रेम चंद	प्रधानाचार्य	09/17से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रधानाचार्य,विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोश्नाबाद,हरिद्वार, उत्तराखंड**को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखंड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून- पिन-248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/
AMG-I